न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 05 / 2025(GCMS 2025/27)
(आरटीआई संख्या 212645530571236)

श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद निवासी लालगढ़ जाटान, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94606–88197)

<u>बनाम</u>

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>19.03.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुभाष कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.12.2024 से आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह ऑनलाईन अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सुभाष कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.12.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. किसी कृषि भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, इस कृषि भूमि गुमनाम व्यक्ति है या इसका वारिस नहीं है। इस कृषि भूमि विभाग द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई होती है। प्रमाणित प्रति।
2. इसी कृषि भूमि जिसका मा[illegible]ाम हो, उस कृषि भूमि अधिकारी की [illegible] के तहत कोई कार्रवाई होती है। नियम प्रमाणि[illegible] प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:50:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

3. ऐसी कृषि भूमि जिसका मालिक गुमनाम हो या हो ही नही, भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की समय मिला, शिकायत नियम सम्बन्धित कॉपी
4. गुमनाम व्यक्ति की कृषि भूमि में राजस्व विभाग भू शाखा से कौनसी कार्रवाई, किस धारा तथा कौन अधिकारी करता है।
5. किसी प्रकरण में कोई व्यक्ति उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) के वाद दायर करता है तथा वह जिस कृषि भमि से संबंधित रहा हो, उसका कानूनी वारिस भी नहीं है। इसे प्रकरण मे तहत उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई संबंधित नियम
6. कोई व्यक्ति गोद या दतक चला गया वह व्यक्ति जनक पिता के 20 वर्ष बाद प्रोपर्टी या कृषि भूमि या शस्त्र लाईसेंस को वारिस बनकर अपने नाम करवा या हकदार होना नियम प्रमाणित
7. कोई व्यक्ति गोद गया है उसका पुत्र गोद गये व्यक्ति को जाकर प्रोपर्टी या कृषि भूमि का वारिस या हकदार सम्बन्धित नियम
8. कोई व्यक्ति गोद गया हो, उसका पुत्र गोद गये व्यक्ति के जनक पिता की भूमि पर दावा या प्रकरण उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) के समक्ष ... है, उसमें गोद जाने की छिपाई जाती है तो इस व्यक्ति .... के तहत कार्रवाई कौन करता है। प्रमाणित प्रति।

उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./25/52 दिनांक 27.02.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:50:08 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक अपील के संबंध में निवेदन है कि लोक सूचना का अधिकार अधिनियम संख्या 5/2025 सुभाष कुमार बनाम उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर में अपीलार्थी द्वारा अपेक्षित जानकारी/सूचना इस कार्यालय द्वारा तैयार किये गये किसी रिकॉर्ड से संबंधित नही है एवं संलग्नक में वर्णित बिन्दु संख्या 01 से 07 के अन्तर्गत चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण आरटीआई के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आती है। अतः अन्य कार्यालय द्वारा तैयार की गई किसी सूचना/नियमावली की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय द्वारा जारी किया जाना संभव नहीं है।

अतः कार्यालय हाजा के पत्रांक आरटीआई/25/52 दिनांक 21.02.2025 द्वारा अपीलार्थी श्री सुभाष कुमार द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को प्रेषित कर दिया गया हैं। सूचना श्रीमानजी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजे ... नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का ... नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को ... भी कार्य को किसी विशेष**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:50:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर** द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:50:08 IST
Reason: SelfAttested